



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

Central Sector Scheme of Scholarship के संबंध में
आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 16/2012

एतर्ध द्वारा वार्षिक इंटर परीक्षा, 2011 में उत्तीर्ण ऐसे छात्र/छात्राओं उनके अभिभावकों एवं संबंधित इंटर महाविद्यालय तथा +2 विद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्याओं को सूचित किया जाता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार के द्वारा सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशीप के तहत झारखण्ड राज्य के लिए 1878 छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत की गई हैं। 80 Percentile या उसके ऊपर स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रायें इसके लिये योग्य समझे गये हैं। वार्षिक इंटर परीक्षा, 2011 में उत्तीर्ण ऐसे छात्र/छात्राओं, जो अर्हता रखते हैं और जो छात्रवृत्ति की परिधि में आ सकते हैं, की सूची एवं आवेदन पत्र का प्रपत्र परिषद् के Website www.jac.nic.in पर उपलब्ध है।

संबंधित छात्र/छात्रा/अभिभावक से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र सात दिनों के अन्दर भरकर अपने महाविद्यालय/+2 विद्यालय के माध्यम से परिषद् को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अध्यक्ष के आदेशानुसार,
ह./-

(सुशील कुमार राय)
सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/Inter/6287/10 - SECY/87/2012
Dt.: 28.02.2012
D.O.P : 29.02.2012